आत्मरक्षा से ही सशक्त महिला समाज निर्माण संभव : एस.पी.

कोटपूतली। कस्बे के डाबला रोड़ स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता का संदेश देते हुये रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के तत्वाधान में पिछले एक माह से संचालित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन

■ आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन

हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने कहा कि आत्मरक्षा केवल एक कला नहीं बल्कि आवश्यकता है।

आज के समय में महिलायें जिस तरह नये-नये खतरों का सामना कर रही हैं, उसमें आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। सोशियल मीडिया व साईबर अपराध महिलाओं के लिये एक नया 'थ्रेट' बनकर उभर रहा हैं। यह कभी-कभी मानसिक और सामाजिक हानि पहुँचाने का हथियार बनता जा रहा है, हमें इनसे सावधान रहना होगा। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण में सीखे कौशल को निरंतर अभ्यास में लाने, एक-दूसरे को प्रोत्साहित करने और समाज की अन्य महिलाओं व बालिकाओं तक पहुँचाने का आह्वान किया। एसपी ने कहा कि आत्मरक्षा के साथ-साथ तकनीकी जागरूकता भी आवश्यक है, क्योंकि ऑनलाईन ठगी, फर्जी पहचान, सोशियल मीडिया ब्लैकमेलिंग जैसी घटनायें तेजी से बढ़ रही हैं। अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. आर. पी. गुर्जर ने की। स्वागत प्रभारी डॉ. रितिका जैन रही। मंच संचालन प्रो. विमल कुमार यादव ने किया। इस दौरान प्रो. भावना चौधरी, विशम्भर दयाल, प्रो. मनोज कुमार, प्रो. जगराम गुर्जर समेत बड़ी संख्या में छात्रायें एवं स्टॉफ सदस्य मौजूद रहे।

एसपी विश्नोई ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में बने अमृता देवी स्मृति पार्क और बोटैनिकल गार्डन का निरीक्षण किया तथा महाविद्यालय को राज्य का "शानदार एवं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन कैंपस" बताया।

छात्राओं को सम्बोधित करते एसपी विश्नोई।

संक्षिप्त

विद्यालय को कुसियां, ग्रीन बोर्ड किए भेंट

शाहपुरा। शाहपुरा क्षेत्र के अमरपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस पर अवकाश होने के चलते एक दिन पूर्व गुरुवार को शिक्षक दिवस प्रधानाचार्य राजकुमार यादव की अध्यक्षता में मनाया गया। विद्यालय के छात्र - छात्राओं ने विद्यालय का संचालन किया एवं कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाया। प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने सर्वपल्ली डॉ राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए गुरु की महिमा को विस्तार से बताया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक हीरा लाल खटावलिया ने 7 कुर्सियाँ, एक ग्रीन बोर्ड व बोर्ड स्टैंड, एक फर्राटा पंखा, 3 टेबल कवर (टेबल पॉश) एवं विद्यालय के उपयोग में आने वाला सामान दिया। साथ ही जरूरतमंद बच्चों को बैग एवं स्टेशनरी का सामान दिया। अध्यापक हीरा लाल खटावलिया का साफा पहनाकर स्वागत किया गया।

शिविर 8 को

शाहपुरा। शाहपुरा शहर के पंचायत समिति परिसर में 8 सितंबर को सक्षम जयपुर अभियान के तहत विशेष योग्य जन सशक्तिकरण शिविर आयोजित होगा। उपखंड अधिकारी संजीव कुमार खेदड़ ने बताया कि शिवपुरी में विशेष योग्यजनों एवं वृद्धि जनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु उनकी आवश्यकता अनुसार एवं पात्रता अनुसार कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण(ट्राई साइकिल व्हीलचेयर ,कैलीपर, वाकिंग स्टिक,कमर की बेल्ट, घुटनों की बेल्ट,सर्वाइकल कौलर बैसाखी,वाटर, ट्राइपॉड,श्रवण यंत्र,कृत्रिम डेंटल चश्मे) आदि उपलब्ध कराए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। उसने बताया कि विशेष योग्य जनों के लिए 40 फीसदी या अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र,यूडीआईडी कार्ड, पेंशन पीपीओ प्रमाण पत्र,आधार कार्ड तथा वृद्धजनों के लिए आधार कार्ड पेंशन पीपीओ,आय प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज साथ लेकर आए।

किसानों को मुआवजा देने की मांग

मनोहरपूर। प्रदेश में हुई भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कई स्थानों पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है।कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के सामने फसल ख़राबे के मूवावजे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक मनीष यादव ने सरकार से किसानों को राहत देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में किसानों के साथ खड़ा रहना हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार को तत्काल विशेष गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'एनटीपीसी की प्रयोगशालाओं से ग्रामीण विद्यार्थियों को मिल रही आधुनिक शिक्षा'

मनोहरपूर। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए विज्ञान अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके हाथों में प्रयोगशाला उपकरणों के रूप में जीवंत हो उठेगा।

एनटीपीसी ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत खोरालाडखानी में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए उन्नत विज्ञान किट उपलब्ध कराए गए हैं।

विद्यालय में कजोड़ मल जाट, (पूर्व) शंकर शरण शर्मा, संस्था प्रभारी अनिल कुमार वर्मा, फाउंडेशन डायरेक्ट डॉ. शंकरलाल सैनी, भामाशाह जितेंद्र सिंह शेखावत आदि अतिथियों ने फीता काटकर लैब का उद्घाटन किया।

इस मौके पर (पूर्व) शंकर शरण शर्मा ने कहा कि एनटीपीसी ने अपने सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला उपकरण, माप यंत्र, माइक्रोस्कोप,

■ एनटीपीसी ने फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए उन्नत विज्ञान किट उपलब्ध कराए गए हैं

स्लाइड्स और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई है जिसके लिए विद्यालय परिवार एनटीपीसी का आभार व्यक्त करता है। इन साइंस लैब उपकरणों से विद्यार्थी पाठ्यक्रम में दिए गए सिद्धांतों को स्वयं प्रयोग कर सीखें। जिससे उनकी वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान क्षमता बढ़े। भविष्य में नई वैज्ञानिक सोच का आविष्कार होगा और यही बच्चे देश के लिए नई आधुनिक उपकरणों का विकास करेंगे विद्यालय शिक्षकों के अनुसार प्रयोगात्मक सामग्री मिलने से विद्यार्थियों की विज्ञान में रुचि पहले से कहीं अधिक बढ़ी है और उनकी सीखने की क्षमता में भी तेजी आएगी।

इस मौके पर प्रोग्राम में इंजीनियर असरार अहमद, इंजीनियर नवीन निसार बारूदगर, पुष्कर लाल, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक भूरा मल जाट, वरिष्ठ अध्यापक राजेश चाहर, रामजीलाल दादरवाल, सीताराम गुर्जर, अजय कुमार यादव, अध्यापक ओमप्रकाश जींजवाड़िया, अनिता यादव, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जसवंत सिंह शेखावत, शिल्पा शर्मा, कम्प्यूटर शिक्षक मदन लाल यादव, प्रयोगशाला सहायक मनमोहन सिंह, वरिष्ठ अध्यापक रमाकांत शर्मा,अध्यापक पंकज कुमार शर्मा, पूजा चौधरी, पूर्व प्राथमिक शिक्षिका सरिता, सुमन चौधरी तथा विद्यालय के बच्चे आदि मौजूद रहे।

फाउंडेशन के सदस्यों ने स्कूल के विज्ञान के अध्यापकों के साथ मिलकर बच्चों को विज्ञान किट के साथ परीक्षण करवाया। इस पहल की बच्चों के परिजनों व क्षेत्र के लोगों ने सराहना की। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि अब उनके बच्चे भी निजी विद्यालयों की तरह यहां पर साइंस लैब में थ्यौरी पढ़ने के साथ ही प्रेक्टिकल भी कर सकेंगे।

आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के दिए निर्देश

पावटा। विराटनगर उपखंड अधिकारी अमिता मान ने 15 सितंबर 2025 से 02 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले शहर चलो अभियान की तैयारियों के सम्बन्ध में बुधवार को अधिकारियों, कर्मचारियों की बैठक ली। उपखंड अधिकारी अमिता मान ने अभियान के तहत 04 सितंबर 2025 से 13 सितंबर 2025 के बीच प्री-कैम्प आयोजित करने एवं प्री-कैम्पों में आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्री-कैम्प का समय प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक होगा। शिविर में आमजन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवा सकते हैं।

उपखंड अधिकारी अमिता मान ने बैठक में सीएम जनसुनवाई पोर्टल पर लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार ये अभियान दो चरणों में आयोजित होंगे।

अभियान के तहत सफाई व्यवस्था में सुधार एवं ब्लैक स्पॉटों की समाप्ति की कार्रवाई, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत नई स्ट्रीट लाइटें लगाना एवं बंद पड़ी लाइटों को चालू कराना, निराश्रित पशुओं को पकड़ना, साईनेज लाइसेंस। प्रॉपर्टी आईडी सहित अन्य कार्यों व समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।

उपखंड अधिकारी अमिता मान ने बैठक ली।

अलवर शहर में 61 करोड़ रूपये की लागत से होंगे विकास कार्य

अलवर। जिला कलक्टर एवं नगर विकास न्यास की अध्यक्ष डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में आज नगर विकास न्यास की बैठक आयोजित हुई जिसमें अलवर शहर के विकास कार्यों

■ नगर विकास न्यास द्वारा 97-97 लाख रूपये की लागत से बहरोड रोड एवं तिजारा भिवाडी रोड पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे

हेतु लगभग 61 करोड रूपये के विकास कार्यो को कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कलक्टर ने अलवर के बहुआयामी विकास एवं सीवरेज समस्या को मध्यनजर रखते हुए लगभग 61 करोड रूपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें नाला निर्माण एवं डेऊनेज सिस्टम सुधार हेतु 40 करोड रूपये की लागत राशि से पटरी पार क्षेत्रा जिसमें अम्बेडकर नगर, मूंगस्का, वैशाली नगर, 200 फीट बाईपास एवं अरावली विहार इत्यादि क्षेत्रा में मिसिंग लिंक नाला व सीवरेज निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इस क्षेत्रा सहित शहर में करीब 10 करोड रूपये की लागत से सडक बनेंगी जिसमें नई सडकें व क्षितग्रस्त सडकें शामिल हैं। जिला कलक्टर ने इन सडकों के कार्यों को बरसात रूकते ही शुरू करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शहर में रोड लाइट के संचालन एवं रख-रखाव हेतु स्मार्ट लाइट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कर निर्देश दिये कि रोड लाइटों का स्वतः ही संचालन सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर डॉ. शुक्ला की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास की बैठक आयोजित हुई।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि.क्र.सं. 18 सांगानेर, जयपुर
रमेश चन्द विरूद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि. व अन्य
वाद बाबत ....
वाद सं. 520सन् 2025
बनाम राम प्रकाश गुप्ता पुत्र नानक चन्द गुप्ता निवासी 12 रघुविहार दुर्गापुरा जिला जयपुर जरिये निदेशक मल्का गुप्ता व रामप्रकाश गुप्ता ने आपके विरुद्ध के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 08 माह 09 सन् 2025 को दिन मे....बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे मे या शक्ति मे है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या दाखिल/सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावजो को उल्लिखित समक्ष के वाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 01 माह 09 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-सरिश्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18, जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर
मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्र.सं. 8 सांगानेर
रमेश चन्द्र विरुद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमन प्रा.लि.
वाद/प्रार्थना पत्र .....
प्रार्थना-पत्र संख्या - 541/2025
नाम श्रीमती महावीर बिल्डकाम प्रा.लि. कार्यालय 12 रघु विहार दुर्गापुरा जिला जयपुर जरिये निदेश रामप्रकाश गुप्ता एवं अल्का गुप्ता
उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 08 माह 09 सन् 2025 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 01 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
शेरिस्तेदार रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एव मजिस्ट्रेट एवं क्रम सं.18
जयपुर प्रथम महानगर सांगानेर
मोहर अदालत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्र.सं. 18 सांगानेर, जयपुर
भंवर शर्मा विरूद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि. व अन्य
वाद बाबत ....
वाद सं. 521सन् 2025
बनाम श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि. रजि.पता 12 दघुविहार दुर्गापुरा जरिये निदेशक अल्का गुप्ता एवं रामप्रकाश गुप्ता ने आपके विरुद्ध के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 08 माह 09 सन् 2025 को दिन मे....बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे मे या शक्ति मे है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या दाखिल/सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावजो को उल्लिखित समक्ष के वाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 01 माह 09 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-सरिश्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18, जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर
मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्र.सं. 18 सांगानेर
रमेश चन्द्र विरुद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि.
वाद/प्रार्थना पत्र .....
प्रार्थना-पत्र संख्या - 541/2025
नाम अल्का गुप्ता पत्नी राम प्रकाश गुप्ता पता निवासी 12 रघुविहार दुर्गापुरा जयपुर
उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 08 माह 09 सन् 2025 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 01 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
शेरिस्तेदार रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एव मजिस्ट्रेट एवं क्रम सं.18
जयपुर प्रथम महानगर सांगानेर
मोहर अदालत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्र.सं. 18 सांगानेर, जयपुर
भंवर शर्मा विरूद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि. व अन्य
वाद बाबत ....
वाद सं. 521सन् 2025
बनाम अल्का गुप्ता पत्नी रामप्रकाश गुप्ता निवासी 12 रघुविहार दुर्गापुरा जिला जयपुर जरिये निदेशक मल्का गुप्ता व रामप्रकाश गुप्ता ने आपके विरुद्ध के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 08 माह 09 सन् 2025 को दिन मे....बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे मे या शक्ति मे है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या दाखिल/सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावजो को उल्लिखित समक्ष के वाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 01 माह 09 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-सरिश्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18, जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर
मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्र.सं. 8 सांगानेर
रमेश चन्द्र विरुद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि.
वाद/प्रार्थना पत्र .....
प्रार्थना-पत्र संख्या - 541/2025
नाम अल्का गुप्ता पत्नी राम प्रकाश गुप्ता पता निवासी 12 रघुविहार दुर्गापुरा जयपुर
उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 08 माह 09 सन् 2025 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 01 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
शेरिस्तेदार रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधरश एव मजिस्ट्रेट एवं क्रम सं.18
जयपुर प्रथम महानगर सांगानेर
मोहर अदालत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महा.मजि. 18 सांगानेर, जयपुर
भंवर शर्मा विरूद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि. व अन्य
वाद बाबत ....
वाद सं. 521सन् 2025
बनाम रामप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री नानक चन्द गुप्ता निवासी 12 रघुविहार दुर्गापुरा जिला जयपुर जरिये निदेशक मल्का गुप्ता व रामप्रकाश गुप्ता ने आपके विरुद्ध के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 08 माह 09 सन् 2025 को दिन मे....बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे मे या शक्ति मे है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या दाखिल/सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावजो को उल्लिखित समक्ष के वाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 01 माह 09 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-सरिश्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18, जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर
मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्र.सं. 18 सांगानेर
रमेश चन्द्र विरुद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि.
वाद/प्रार्थना पत्र .....
प्रार्थना-पत्र संख्या - 541/2025
नाम राम प्रकाश गुप्ता पुत्र नानक चन्द गुप्ता पता निवासी 12, रघुविहार, दुर्गापुरा जयपुर
उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 08 माह 09 सन् 2025 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 01 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
शेरिस्तेदार रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एव मजिस्ट्रेट एवं क्रम सं.18
जयपुर प्रथम महानगर सांगानेर
मोहर अदालत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्र.सं. 18 सांगानेर, जयपुर
रमेश चन्द विरूद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि. व अन्य
वाद बाबत ....
वाद सं. 520सन् 2025
बनाम श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि. प्राधिकृत कार्यालय 12 रघु विहार स्थान दुर्गापुरा जिला जयपुर जिरिये निदेशक अल्का गुप्ता व रामप्रकाश गुप्ता ने आपके विरुद्ध के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 08 माह 09 सन् 2025 को दिन मे....बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे मे या शक्ति मे है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या दाखिल/सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावजो को उल्लिखित समक्ष के वाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 01 माह 09 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-सरिश्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18, जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर
मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्र.सं. 18 सांगानेर जयपुर
भंवर शर्मा विरुद्ध श्रीमत महावीर बिल्डमान प्रा.लि. व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र .....
प्रार्थना-पत्र संख्या - 542सन् 2025
नाम श्रीमती महावीर बिल्डमान प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 12 रघु विहार दुर्गापुरा जिला जयपुर जरिये निदेशक अल्का गुप्ता पत्नी श्रीराम प्रकाश गुप्ता एवंरामप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री नानदचन्द गुप्ता
उक्त ....ने इस न्यायालय मे यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 08 माह 09 सन् 2025 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 01 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से